

संख्या: 7 /2026 /128/सत्रह-म-2026-17-1002(099)/5/2021

प्रेषक,

राम चरन राम,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषय अनुदान सं०-17 लेखाशीर्षक- 2405, मछली पालन के अन्तर्गत 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹ 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 40/ ले०शाखा/बजट/ 2025-26, दिनांक 19 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक-2405, मछली पालन 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹ 83.33 लाख (तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹ 83.33 लाख (₹ 83.33 लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरितकर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (6) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
7. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय / कम्प्यूटर संख्या- E-1-209-X-2025-26-दिनांक:31-1-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
RAMCHARAN RAM
Date: 11-02-2026
13:39:32
अनु सचिव।

संख्या- 7 /2026/ 128(1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो० अनुभाग-3।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।